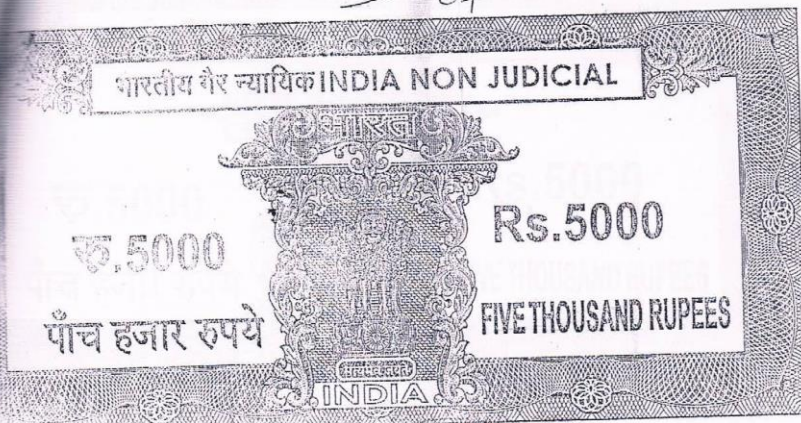


5518
07



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 994741



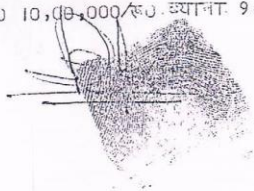
Signature of Mahesh Chandra Sharma
Mahesh Chandra Sharma
Advocate

Signature of Shri. S. S. Sharma
Shri. S. S. Sharma
Advocate

उत्तर नाम का संक्षिप्त विवरण

- | | |
|-----------------------|--|
| 1= भूमि का प्रकार | = कृषि |
| 2= वाड/अरगना | = घरेली |
| 3= ग्राम | = नवादा योगवानवरेली |
| 4= समिति का विवरण | = उत्तर नं 209 से 213 का भाग |
| 5= भागन की ईकाई | = हैठ |
| 6= समिति का क्षेत्रफल | = 1.025 हैठ का 1/3 भाग यानि 0.3416 हैठ
व 0.866 हैठ का 1/9 भाग यानि 0.0962 हैठ |
| 7= समिति का प्रकार | = कृषि |
| 8= प्रतिभा की धराति | = कीट 10,00,000/रु. खाना 9,50,000/रु |

Signature of Mahesh Chandra Sharma
Mahesh Chandra Sharma
Advocate



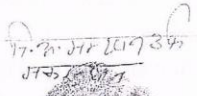
भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL  रु.5000 Rs.5000 पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES INDIA	
प्रदेश UTTAR PRADESH 2	B 994740 9 AUG 2007 BLY. TRY.

प्रथम पक्ष की सं०। विधेता का विवरण मन्मथ उर्फ मन्मथदीन पुत्र शाहिद अली नि० मु० चक बरेली	द्वितीय पक्ष की सं०। श्रेता का विवरण आकाश बिन्धु टैक पु० नि० आकाश पुरम बरेली द्वारा डायरेक्टर श्याम सिंह राठौर पुत्र सत्य देव राठौर नि० पवन विहार - बरेली।
--	---

इकरार नामा मुदायदावय
 =====

कीमत 10,00,000/रु० म्याना 9,50,000/रु० रुटाभा 40,000/- रूपया
 =====

हम कि मन्मथ उर्फ मन्मथदीन पुत्र शाहिद अली नि० मु० चक बरेली विधेता
 प्रथम पक्ष।


 मन्मथ उर्फ मन्मथदीन


 आकाश



BLY. TRY.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 995665

3

व आकाश चित्छ टेक पुटो मि० आकाश पुरम बरेली द्वारा डायरेक्टर श्यामसिंह राजौर पुत्र श्री सत्य सेव राजौर मि० पवन बिहार बरेली कृता द्वितीय पक्ष । जो कि प्रथम पक्ष निम्नलिखित सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी है और उसपर काबिज है जो हर प्रकार के भार बन्धन से मुक्त है और ना ही उसमें कोई भागीदार है और प्रथम पक्ष को उसके विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति को प्रथम पक्ष अपने समस्त स्वत्त्व व अधिकारों सहित - सहित मु० 10,00,000/- दस लाख रु० में द्वितीय पक्ष के हाथ विक्रय करना - करार पाया दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण पालन रहेगे ।

1. यह कि मुहायदा वय तलब भूमि के सम्बन्ध में सिविल मि. रिट पिटेशन नं० 47287/2004 सैम 58498 /2005 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है उसका फैसला मुअ प्रथम पक्ष के पक्ष में हो जाने के - उपरान्त म्याद बचाना अन्दर दो साल करोर पाई है तथा मुकदमे की - प्रेरवी में विवेता प्रथम पक्ष करेगा।

नि. क. म. 28/07/05
प्रतिपक्ष

[Signature]



✓
①

आजाद दिनांक 17/8/07 को
सी. ड. 1 जिल्हा लं. 1990
पुणे लं. 171 है 186 पर वृत्तांक 5348
प्राप्त किया गया

नौनाम / डा. -



EX-10 COPY ATTACHED